भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 209

(जिसका उत्तर सोमवार, 29 नवंबर, 2021/8 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया गया)

कंपनियों का बंद होना

209. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:

श्री डी.एम. कथीर आनन्दः

श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः

श्री प्रताप सिम्हाः

श्री तेजस्वी सूर्याः

श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पाः

डॉ. उमेश जी. जाधवः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विमुद्रीकरण, जीएसटी और कोविड महामारी के बाद बंद हुई कंपनी पंजीयक के पास पंजीकृत कंपनियों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) रुग्ण और डूबती कंपनियों की सहायता करने और उन्हें वापस सामान्य स्थिति में लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी संकटग्रस्त कंपनियों के पुनरुद्वारा के लिए किसी माफी योजना या वित्तीय सहायता की घोषणा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) : कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 तथा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों को शासित करता है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा इवेंट आधार पर किसी भी डाटा का रखरखाव नहीं किया जाता है। तथापि, दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2021 और आज की तारीख तक पंजीकृत हुए नई कंपनियों की कुल संख्या का ब्यौरा **अनुलग्नक-क** में दिया गया है। इस अधिनियम के तहत पद 'बंद कंपनी' को भी परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, इस अधिनियम की धारा 248(1) के उपबंधों के अनुसरण में, जहां रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने का युक्तिसंगत कारण है कि दो ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की अवधि के दौरान किसी व्यवसाय या प्रचालन को निष्पादित नहीं करने वाली तथा धारा 455 के अंतर्गत एक निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने हेतु ऐसी अवधि के दौरान ऐसा कोई आवेदन नहीं देने वाली कंपनियों को, विधि की सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् कंपनी रजिस्टार की सूची से हटा देना चाहिए।

इसके अलावा, कंपनियों को समामेलन या माननीय न्यायालय के अनुमोदन से किसी अन्य तरीके से भी विघटित कर दिया जाता है। तद्नुसार, **दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2021 और आज की तारीख तक ऐसी कंपनियों की संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक-ख में दिया गया है।**

(ख) से (घ): कोविड-19 महामारी से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय -

(i) कंपनीज फ्रेश स्टार्ट योजना, 2020 की शुरूआत कंपनियों को दिनांक 01 अप्रैल से 31 दिसंबर, 2020 तक किन्हीं अतिरिक्त शुल्कों के बिना एमसीए21 रजिस्ट्री में विलंबित दस्तावेजों को फाइल करने की अनुमति देते हुए एक पूर्णतया अनुपालक कंपनी बनने के लिए एक नई शुरूआत करनी थी। उक्त योजना से शास्ति के आरोपण से संबंधित कार्यवाहियों एवं अभियोजनों से भी प्रतिरक्षा प्राप्त हुई है जो दस्तावेजों के इस तरह से विलंब से फाइल करने की वजह से उत्पन्न हो सकती है। रिकॉर्ड के अनुसार, 473131 भारतीय कंपनियां तथा 1065 विदेशी कंपनियां ने अपने लंबित दस्तावेजों को फाइल करने में सीएफएसएस, 2020 योजना का उपयोग करते हुए लाभान्वित हुई हैं।

(ii) कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने एलएलपी निपटान योजना, 2020 की शुरूआत की ताकि चूककर्ता सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) के लिए अतिरिक्त शुल्क में एकबारगी छूट प्रदान किया जा सके जिससे कंपनी रजिस्ट्रार ('आरओसी' या 'रजिस्ट्रार') के पास लंबित दस्तावेजों को फाइल करके उनकी चूकों में सुधार किया जा सके और व्यवसाय उद्यमों में आने वाली कठिनाइयो को दूर कर सकें। उक्त योजना एलएलपी द्वारा कतिपय फाइलिंग के लिए प्रारंभत: दिनांक 16.03.2020 से 31.03.2020 तक विस्तारित कर दी गई थी। तथापि, कोविड-19 महामारी की वजह से उक्त संशोधित योजना सभी ई-फार्मों को कवर करने के लिए दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक लागू की गई। उक्त योजना के तहत चूककर्ता एलएलपी को यह अनुमति दी गई थी कि वे विलंबित दस्तावेजों को फाइल कर सकें और ऐसी चूकों के लिए एलएलपी पर अभियोजन की कार्रवाई न हो। रिकॉर्ड के अनुसार, 105643 एलएलपी अपने लंबित दस्तावेजों को फाइल करने में एलएलपी समाधान योजना, 2020 का उपयोग करते हुए लाभान्वित हुई हैं।

(iii) कोविड की दूसरी लहर के मद्देनजर तथा कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के दृष्टिगत, मंत्रालय ने कंपनियों/एलएलपी को कतिपय फॉर्मों (सीएचजी-1 फॉर्म, सीएचजी-4 फॉर्म तथा सीएचजी-9 फॉर्म को छोड़कर) फाइल करने के संदर्भ में अतिरिक्त शुल्कों की वसूली पर छूट प्रदान की है। तद्नुसार, दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मई, 2021 तक की अवधि के दौरान फाइल किए जाने वाले/फाइल किए जाने हेतु लंबित फॉर्मों (ऊपर संदर्भित फॉर्मों से संबंधित प्रभार को छोड़कर) को विलंब से फाइल करने हेतु 31 जुलाई, 2021 तक कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा। 31 जुलाई, 2021 तक विलंब से की गई ऐसी फाइलिंग के लिए सिर्फ सामान्य शुल्क देय होंगे। उक्त समय- सीमा दिनांक 30.06.2021 के सामान्य परिपत्र सं. 11/2021 के तहत आगे 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ा दी गई है।

(iv) कोविड-19 के मद्देनजर तथा कानून का पालन करने वाली कंपनियों को राहत प्रदान करने के लिए, दिनांक 01 मार्च से 31 दिसंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्रभारों के सृजन अथवा उनमें आशोधन से संबंधित फार्मों को फाइल करने के लिए समयसीमा में छूट प्रदान करने के लिए एक योजना आरंभ की गई।

(v) कोविड-19 महामारी के फैलने की वजह से उत्पन्न कठिनाइयों के मद्देनजर, मंत्रालय ने दिनांक 03.05.2021 के सामान्य परिपत्र संख्या 07/2021 के तहत समय सीमा में छूट प्रदान की है तथा किसी कंपनी या प्रभार धारक द्वारा उन फॉर्मों के फाइल किए जाने में विलंब को माफी दी है जो प्रभारों (सीएचजी-1 फॉर्म और सीएचजी-9 फॉर्म) के सृजन अथवा आशोधन से संबंधित है और जहां प्रभारों के सृजन/आशोधन की तिथि (i) दिनांक 01.04.2021 से पहले है किंतु ऐसे फॉर्म को फाइल करने की सयमसीमा दिनांक 01.04.2021 की तिथि के अनुसार इस अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत समाप्त नहीं हुई थी; अथवा दिनांक 01.04.2021 से 31.05.2021 (दोनों तिथियां शामिल हैं) के बीच की कोई तिथि है। उक्त परिपत्र में, उक्त फॉर्मों को फाइल करने की समय-सीमा में छूट तथा प्रयोज्य शुल्क संबंधी ब्योरा विहित था। मंत्रालय ने आंकड़ों "31.05.2021" तथा "01.06.2021" को, जहां कभी भी वे दिनांक 03.05.2021 के साामान्य परिपत्र सं. 07/2021 में उल्लिखित हैं, आंकड़ों क्रमश: "31.07.2021" तथा "01.08.2021" के साथ प्रतिस्थापित करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रभारों के सृजन अथवा आशोधन से संबंधित फॉर्मों को फाइल करने के लिए समय सीमा में उक्त छूट और बढ़ा दी है।

(vi) कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 252 के तहत दिनांक 01 दिसंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 के बीच एनसीएलटी द्वारा पुनःस्थापित कंपनियों के लिए विलंब की माफी की एक योजना की घोषणा की। इस योजना में रजिस्ट्रार के पास फार्मों को फाइल करने में होने वाले विलंब को माफ करने तथा अतिरिक्त शुल्कों के भुगतान को छोड़ने का प्रावधान है। यह योजना दिनांक 01 फरवरी, 2021 से लागू थी और दिनांक 31 मार्च, 2021 तक ऐसी कंपनियों के लिए पुराने लंबित किन्हीं ई-फार्मों की फाइलिंग के लिए उपलब्ध थी।

(vii) कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कंपनियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, कंपनियों को बैठकों में पूर्व में पारित किए जाने हेतु अपेक्षित मामलों के संदर्भ में संकल्पों को पारित करने के लिए वीडियों कांफ्रेस (वीसी) या अन्य दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए बोर्ड की बैठकें आयोजित करने की अनुमति दी गई है जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान समय-समय पर कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 में संशोधन करते हुए निदेशकों की वास्तविक उपस्थिति अपेक्षित थी। ऐसी सुविधा की अनुमति कंपनियों को 30 जून, 2021 तक प्रदान की गई है (प्रारंभत: यह 30.06.2020 तक थी बाद में इसे 30.09.2020 तक और 31.12.2020 तक बढा दिया गया)। इसके पश्चात्, कोविड की दूसरी लहर के मद्देनजर, दिनांक 15.06.2021 की अधिसूचना के तहत कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 4 का लोप कर दिया गया है ताकि यह प्रावधान किया जाए कि निदेशक मंडल द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों के जरिए सभी मामलों पर विचार-विमर्श किया जा सके और इस संबंध में संकल्प पारित किए जा सके। ऐसा करने से कंपनी बोर्ड को व्यवसाय के संचालन में और अधिक सुविधा प्राप्त होगी और सरकार के सरलतापूर्वक व्यवसाय करने के उद्देश्य को बढावा मिलेगा।

(viii) कंपनियों को यह अनुमति दी गई है कि वे दिनांक 30 जून, 2021 तक पंजीकृत ई-मेलों के माध्यम से ई-वोटिंग सुविधा/सरलीकृत वोटिंग सुविधा के साथ वीडियों कांफ्रेसिंग (वीसी) या अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए असाधारण आम बैठकें (ईजीएम) आयोजित करें। कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर, मंत्रालय ने उक्त समयसीमा 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दी है।

(ix) कंपनियों को यह अनुमति दी गई है कि वे वर्ष 2020 में निर्धारित अथवा वर्ष 2021 में आयोजित किए जाने हेतु प्रस्तावित अपनी वार्षिक आम बैठकें वीडियो कांफ्रेसिंग (वीसी) या अन्य श्रव्य दृश्य माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से 31.12.2020 को या इससे पहले आयोजित करे। वित्तीय विवरणों की वास्तविक प्रतियां भेजने में होने वाली कठिनाइयों के कारण कंपनियों को यह अनुमति दी जाती है कि वे बोर्ड की रिपोर्टों सहित वित्तीय विवरणों, लेखापरीक्षा रिपोर्टों तथा अन्य दस्तावेजों, जो उनके साथ संलग्न किए जाने हेतु अपेक्षित हों, सिर्फ मेल के माध्यम से भेजें।

(x) कंपनी रजिस्ट्रार को मंत्रालय की सलाह पर 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठकें 31 दिसंबर,2020 तक आयोजित करने की समयावधि में छूट प्रदान की गई थी। (जो अधिनियम की धारा 96 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार के द्वारा विस्तारित की जाने वाली अधिकतम अवधि थी)।

(xi) प्रकटनों की गुणवत्ता वित्तीय विवरणों, कंपनी (लेखा) नियम, कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक के) नियम, और कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के प्रारूपों में किए गए संशोधनों के माध्यम से सुदृढ़ बनाई गई है। कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से अब लागू कर दिया गया है ताकि लेखापरीक्षकों और कंपनियों द्वारा अनुपालन संबंधी अपेक्षा को पूरा करने में सुविधा हो।

(xii) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 में दिनांक 18.06.2021 की अधिसूचना के तहत संशोधन कर दिया गया है ताकि, अन्य बातों के साथ-साथ, कोविड-19 से संबंधित उस किराया रियायत का लाभ प्रदान किया जा सके, जो पिछले वर्ष, दिनांक 30 जून, 2021 से 30 जून, 2022 तक, लागू की गई थी।

(xiii) कंपनी अधिनियम, 2013 (सीए-13) की धारा 173 में उपबंधित अंतराल की अवधि (120 दिनों) के भीतर कंपनी बोर्ड की बैठकों को आयोजित करने की अनिवार्य अपेक्षा अगले दो तिमाहियों अर्थात् 30 सितंबर, 2020 तक 60 दिनों की अवधि तक विस्तारित कर दी गई थी। कोविड की दूसरी लहर के मद्देनजर, मंत्रालय उक्त छूट की सुविधा आगे वर्ष 2021-22 के लिए बढा दी थी तथा तद्नुसार, बोर्ड की दो लगातार बैठकों के बीच समय अंतराल को, कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा अपेक्षित 120 दिनों के समय अंतराल के स्थान पर, तिमाही - अप्रैल से जून, 2021 तथा तिमाही - जुलाई से सितंबर, 2021 के दौरान 180 दिनों तक बढ़ा दी।

(xiv) कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों(आईडी) को कम से कम एक अनिवार्य बैठक आयोजित करने से छूट प्रदान कर दी गई है। तद्नुसार, वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान यदि किसी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक द्वारा ऐसी बैठक आयोजित नहीं की जा सकी है, तो इसे उल्लंघन के रूप में नहीं माना गया है।

(xv) मंत्रालय ने अवधि दिनांक 01 दिसंबर, 2019 से तेरह महीने तक विस्तारित कर दी जिसके अंतर्गत मौजूदा स्वतंत्र निदेशक कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियमावली, 2014 में समय-समय पर संशोधनों के तहत स्वतंत्र निदेशकों के लिए डाटा बैंक में अपने नाम को शामिल करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, कंपनी (स्वतंत्र निदेशकों के डाटा बैंक का सृजन तथा रखरखाव) नियम, 2019 में दिनांक 18.06.2021 की अधिसूचना के तहत संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान

किया जा सके कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के डाटा बैंक में अपने नाम को शामिल करने हेतु संस्थान को आवेदन करने में विलंब किए जाने के मामले में अथवा तत्संबंधी नवीकरण में विलंब करने के मामले में, संस्थान ऐसे समावेशन अथवा नवीकरण, जैसा भी मामला हो, की अनुमति ऐसे विलंब के प्रति एक हजार रुपये के अतिरिक्त शुल्क को प्रभारित करने के पश्चात्, प्रदान करेगा। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, विलंब से किए गए आवेदनों के लिए अतिरिक्त समय सीमा प्रदान करने हेतु बहुत संख्या में स्टेक धारकों द्वारा किए गए अनुरोधों का समाधान इस संशोधन के माध्यम से किया गया है।

(xvi) सीए-13 की धारा 73(2)(ग) के तहत 20% आरक्षित पुनर्भुगतान और कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 के नियम 18 के तहत डिबेंचरों की 15% राशि निवेशित अथवा जमा करने की समयसीमा बढाकर 31 दिसंबर, 2020 कर दी गई थी।

(xvii) नई निगमित कंपनियों द्वारा व्यापार शुरू करने संबंधी घोषणा फाइल करने की अनुपालना की अनुमति 180 और दिनों की अतिरिक्त अवधि के साथ बढा दी गई है।

(xviii) सीए-13 की धारा 149 के तहत प्रत्येक कंपनी के कम से कम एक निदेशक द्वारा कम से कम 182 दिनों की अवधि के लिए भारत में प्रवास की न्यूनतम अवधि की अनुपालना को वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए गैर-अनुपालना के रूप में नहीं माना जाएगा।

(xix) 31 दिसंबर, 2020 तक सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट अथवा कोरियर के जरिए अपने शेयरधारकों को राइट इश्यू के लिए नोटिस जारी करने संबंधी असमर्थता को अधिनियम की धारा 62(2) के उल्लंघन के रूप में नहीं माना जाएगा। बशर्ते कि ये कंपनियां 06 मई, 2020 और 24 जुलाई, 2020 के सेबी के परिपत्रों की अनुपालना कर रही हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रानिक अंतरण के तहत नोटिस के निर्गमन की पद्धति/तरीके का भी प्रावधान किया गया हो।

(xx) विनिर्दिष्ट लिखतों में वर्ष विशेष के दौरान डिबेंचर परिपक्वों होने संबंधी राशि के 15% हिस्से को निवेश करने की आवश्यकता सूचीबद्ध कंपनियों और एनबीएफसी के लिए उस स्थिति में समाप्त कर दी गई है जब ऐसे डिबेंचरों को निजी नियोजन आधार पर जारी किया जाएगा।

(xxi) कोविड-19 के कारण उत्पन्न अवरोध के दौरान उत्पन्न कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए एनएफआरए में एनएफआरए-2 प्ररूप को फाइल करने के लिए लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा फर्मों को दिए गए समय की सीमा बढाकर कुल 270 दिन कर दी गई है।

(xxii) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीपीएमएफ) के सेवानिवृत्त सेनानियों तथा विधवाओं सहित उनके आश्रितों के संबंध में किए गए कार्यकलापों पर कंपनियों द्वारा किए गए खर्च को सीएसआर खर्च माना गया है।

(xxiii) लागत लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के प्रबंधन को लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दी गई है और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सीआरए-4 (लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट को फाइल करने हेतु फॉर्म) की फाइलिंग के लिए अतिरिक्त शुल्क में छूट प्रदान की गई है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 27.09.2021 के परिपत्र संख्या 15/2021 के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21

के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की फाइलिंग की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर, 2021 तक और बाद में दिनांक 29.10.2021 के परिपत्र संख्या 18/2021 के तहत 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ा दी है।

(xxiv) कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 29.10.2021 के सामान्य परिपत्र सं. 17/2021 के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ई-फॉर्मों एओसी-4, एओसी-4(सीएफएस), एओसी-4, एओसी-4 एक्सबीआरएल एओसी-4 गैर-एक्सबीआरएल तथा एमजीटी-7/एमजीटी-7ए की फाइलिंग हेतु अतिरिक्त शुल्कों की वसूली में छूट प्रदान कर दी है।

<u>अनुलग्नक-क</u>

दिनांक 29.11.2021 को उतरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 209 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

<u>दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2021 और आज की तारीख तक पंजीकृत नई कंपनियों की कुल संख्या</u>

राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	1.4.2021 से आज की तारीख तक
चंडीगढ	460	449	498	509	614	445
दिल्ली	16,025	15859	30	14664	16119	10783
हरियाणा	4,235	4730	5796	5931	7704	5127
हिमाचल प्रदेश	340	393	451	437	616	497
जम्मू और कश्मीर	274	457	1545	494	820	677
लद्दाख	0	0	0	5	14	17
पंजाब	1,037	1321	127	1589	2071	1583
राजस्थान	2,693	3044	3625	3977	5638	3934
उत्तर प्रदेश	8,685	10482	12403	12279	16128	11246
उत्तराखंड	677	870	1062	1179	1349	981
अरूणाचल प्रदेश	16	37	37	32	67	42
असम	410	523	676	828	1203	1032
बिहार	2,709	3475	3898	4242	5613	3806
झारखंड	1,031	1340	555	1426	2047	1315
मणिपुर	51	126	2751	225	217	154
मेघालय	20	30	195	39	49	45
मिजोरम	12	15	22	26	18	52
नागालैंड	26	21	29	35	57	44
सिक्किम	2	0	2161	2049	0	0
ओडिशा	1,525	1754	0	0	3147	2189
त्रिपुरा	36	42	102	115	125	118
पश्चिम बंगाल	4,751	4885	5726	5677	7198	5501
छत्तीसगढ़	537	510	656	837	1379	951
दादर एवं नागर हवेली	17	24	21	16	54	31
दमन और दीव	12	17	15928	18	25	14
गोवा	293	316	384	390	409	278
गुजरात	4,628	4774	5642	5780	8188	5727
मध्य प्रदेश	2,174	2356	23022	2942	4353	2924
महाराष्ट्र	17,507	19460	25	22686	28062	20085
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	50	50	41	36	43	39
आंध्र प्रदेश	2,330	2425	2796	2815	3439	2242
कर्नाटक	8,902	9755	11066	10439	12280	8692
केरल	3,067	3933	4716	4478	6409	4154
लक्षद्वीप	0	0	4	2	7	0
पुदुचेरी	93	122	1569	133	155	83
तमिलनाडु	6,647	7411	8177	8212	9632	7260
तेलंगाना	6,568	7069	8202	8179	10128	7030
कुल	**97,840**	**108075**	**123938**	**122721**	**155377**	**109098**

अनुलग्नक-ख

दिनांक 29.11.2021 को उतरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 209 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2021 और आज की तारीख तक बंद कंपनियों की कुल संख्या

राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	1.4.2021 से आज की तारीख तक
चंडीगढ	97	1,538	484	11,796	174	206
दिल्ली	2,107	45,581	1,360	2,260	2391	2054
हरियाणा	171	4,086	27,895	189	436	384
हिमाचल प्रदेश	52	776	4,164	143	201	49
जम्मू कश्मीर	6	1,539	497	607	1	81
पंजाब	190	3,042	255	4,663	340	387
राजस्थान	508	5,455	2,247	6,013	510	345
उत्तर प्रदेश	328	7,978	4,210	85	1984	990
उत्तराखंड	20	832	7,799	354	3	0
अरूणाचल प्रदेश	5	15	20	43	3	0
असम	59	202	277	572	78	5
बिहार	93	1,557	2,584	1,984	198	4
झारखंड	49	633	1,334	415	143	179
मणिपुर	0	9	19	53	4	0
मेघालय	4	30	33	59	10	0
मिजोरम	3	2	4	8	0	0
नागालैंड	1	10	30	48	2	0
सिक्किम	0	0	2,022	0	0	0
ओडिशा	41	1,871	0	775	99	135
त्रिपुरा	2	16	24	48	2	0
पश्चिम बंगाल	2,248	8,238	10,132	8,552	538	4230
छत्तीसगढ	55	990	550	365	60	51
दादर एवं नागर हवेली	1	46	2,057	9	2	5
दमन और दीव	1	15	30,855	327	1	2
गोवा	69	1,792	32	2,301	43	41
गुजरात	909	11,973	13	1,245	353	1585
मध्य प्रदेश	381	5,000	258	9,103	152	445
महाराष्ट्र	4,156	62,342	6,850	13	2661	5390
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	76	24	16	2	0
आंध्र प्रदेश	15	3,863	3,891	1,001	9	662
कर्नाटक	122	18,924	4,397	2,955	1104	1593
केरल	188	4,200	2,852	5,867	987	543
लक्षद्वीप	0	3	2	5,471	0	0
पुदुचेरी	13	586	40	3,511	35	9
तमिलनाडु	722	24,969	9,376	3	1374	1684
तेलंगाना	192	18,073	16,646	118	774	1498
कुल	**12,808**	**236,262**	**143,233**	**70,972**	**14674**	**22557**

****